



हरियाणा सरकार

“हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं और इससे अन्नदाता, ऊर्जादाता भी बन रहा है। किसान के खर्च में भी कमी आई है और उसे कमाई का एक अतिरिक्त साधन भी मिला है।”

- नरेन्द्र मोदी



प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

75% अनुदान राशि पर 3 एच.पी. से 10 एच.पी.
सोलर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित हैं

इच्छुक किसान अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पंप की क्षमता एवं प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कंपनी चुनें और अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवायें।



आवेदन
saralharyana.gov.in

पोर्टल पर

11.07.2024

से

25.07.2024

तक करें

अधिक जानकारी के लिए

अपने जिले के अतिरिक्त
उपायुक्त कार्यालय
से सम्पर्क करें

अथवा

क्यू आर कोड
स्कैन करें



नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा

अदाय ऊर्जा भवन, सेक्टर-17, पंचकूला Ph: 0172-3504085

ई-मेल: hareda@chd.nic.in, Website: www.hareda.gov.in